

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, तारीख 13 नवंबर 2020

सा. का. नि... (अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधिसूचना संख्या 82/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 10 नवंबर, 2020, जिसे सा. का. नि 698 (अ), 10 नवंबर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2 खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में :-

- पृष्ठ 12 में, पंक्ति 28 एवं 29 में, " सं. 603(अ), तारीख 30 सितंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 72/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 30 सितंबर, 2020" के स्थान पर "सं. 639(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 15 अक्टूबर, 2020 " पढ़ें;

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार